तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	... अहलकार ... हुक्म की ... में जा...
30/8/24	~~पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 06/09/24 को पेश हो।~~	
3/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस एकपक्षीय दिनांक 24/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/5/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 22/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० नि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेखागार दाखिल हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 06/2022

1.श्रीमती भगवानदेई आयु 55 साल पुत्री स्व0 निनुआ पत्नी रामप्रसाद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 उत्तू तहसील किरावली जिला आगरा उत्तरप्रदेश।

.....प्रार्थीया

बनाम

1.श्रीमती शांतिदेवी आयु 47 साल पत्नि स्व0 दुलीचंद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 जसवंतनगर विजयनगर नजदीक हीरादास भरतपुर।
2.सत्यदेव आयु 20 साल पुत्र स्व0 दुलीचंद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 जसवंतनगर विजयनगर नजदीक हीरादास भरतपुर।
3.मीरादेवी आयु 26 साल पुत्री स्व0 दुलीचंद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 जसवंतनगर विजयनगर नजदीक हीरादास भरतपुर।
4.राजोदेवी आयु 24 साल पुत्री स्व0 दुलीचंद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 जसवंतनगर विजयनगर नजदीक हीरादास भरतपुर।
5. नीरज आयु 22 साल पुत्री स्व0 दुलीचंद जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 जसवंतनगर विजयनगर नजदीक हीरादास भरतपुर।
6. गुलाबसिंह आयु 65 साल पुत्र स्व0 निनुआ जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
7. भानसिंह उर्फ कप्तानसिंह पुत्र स्व0 जीवनराम उर्फ जीवनलाल जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

7. श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
8. श्री जयनारायण व्यास एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—28.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 902/5.18, 903/0.06, 2195/3.01 किता 3 के कुल रकबा 9 बीघा 05 विस्वा है, जिनके वर्तमान नए खसरा नंबर ऑन 1320/0.96, 1321/0.01 ,1322/

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

0.03, 3299/0.49 किता चार कुल रकबा 1.49 है0 है। वादिनी व प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 6 के पिता व प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या एक के ससुर और प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या दो लगायात पांच व 07 के बाबा निनुआ की खातेदारी की आराजी है। पिता निनुआ के स्वर्गवास हो जाने पर उक्त आराजी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक वादिनी प्रार्थिया एवं प्रतिवादी अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। वादिनी प्रार्थिया की मां पतरी व भाई दुलीचंद का स्वर्गवास पिता निनुआ के स्वर्गवास के बाद हुआ है। जबकि प्रार्थिया के बड़े भाई जीवन राम उर्फ जीवनलाल का स्वर्गवास पिता निनुआ के जीवन काल में ही हो चुका था। प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 मृतक भाई दुलीचंद के वारिसान हैं। तथा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 7 मृतक भाई जीवन राम उर्फ जीवनलाल का बारिश है।

पिता वादी प्रार्थिया निनुआ की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी का नामांतकरण हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच किये वादी प्रार्थिया को छोड़कर मृतक निनुआ के दोनों पुत्र दुलीचंद व गुलाब सिंह तथा तीसरे मृत पुत्र जीवन राम के पुत्र मानसिंह उर्फ कप्तान सिंह व बेबा मां पतरी के नाम कर दिया गया। तथा उसे ग्राम पंचायत कुरका द्वारा भी बिना जांच किये फैसल कर दिया गया जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी प्रार्थिया को छोड़कर प्रतिवादी का प्रार्थी गण 6 व 7 के नाम तथा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 02 लगायात 05 के पिता वह 01 के पति दुलीचंद व मां पतरी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। तथा वादी प्रार्थियां जो प्रथम श्रेणी की बारिस है को छोड़ दिया गया और जिसकी जानकारी वादी प्रार्थियां को अब तक नहीं हो पाई है। वादी प्रार्थिया की मां पतरी की फौती का दाखिला खारिज वादी प्रार्थिया के नाम दर्ज किया जा चुका है परंतु अपने पिता की फौती का दाखिला खारिज प्रार्थिया के नाम दर्ज नहीं किया गया है। और प्रार्थियां को अब तक यही विश्वास था की पिता निनुआ की मृत्यु के बाद दाखिला खारिज में प्रार्थना का भी नाम आ गया होगा परंतु प्रार्थिया जब दिनांक 13.07.2011 को पटवारी हल्का के पास केसीसी लोन लेने वास्ते नकल जमाबंदी लेने गई तो इन्द्राजों का पता चला कि मृतक पिता निनुआ की विरासत दाखिला खारिज में भाइयों व मां का नाम है और बहन प्रार्थिया का नाम नहीं है। इस पर वादी प्रार्थिया ने इस प्रार्थी गण से इन्द्राजों को दुरुस्त कराने व प्रार्थिया को जमाबंदी में 1/4 भाग की हिस्सेदारी खातेदार दर्ज कराने बाबत निवेदन किया तो उन्होंने इन्द्राजों को दुरुस्त करने से साफ इनकार कर दिया। प्रार्थिया को विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहना व मुंतकिल करने की धमकी दी। इसी कारण प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने हेतु आवश्यक समय दिया गया लेकिन कोई जबाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 14.11.2024 को अभि0 अप्रार्थीगण एवं स्वयं अप्रार्थीगण के अनुपस्थित होने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मेरे द्वारा प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थियां ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की निनुआ के तीन बेटे एवं एक पुत्री है। दिनांक 10.02.1986 को ग्राम पंचायत कुरका ने विरासत खोली जिसमें पुत्री

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

भगवानदेई का नाम इंद्राज नहीं था। निनुआ के मरने के बाद पत्नी पतरी की भी मृत्यु हो गई थी। अप्रार्थियां की मां पतरी की फौत के बाद दाखिला खुला जिसमें भगवानदेई को बराबर हिस्सा मिला लेकिन पिता की फौत उपरांत जो दाखिला खुला उसमें प्रार्थिया के नाम का इंद्राज नहीं है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रार्थिया अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी है। लेकिन उक्त विवादित आराजी में जिनके नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज है वो प्रार्थिया को उक्त आराजी से अलग–थलग करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। प्रार्थिया द्वारा पेश सजरा से भी प्रथमदृष्टतया प्रार्थिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। प्रार्थिया की मां की फौती का दाखिला खारिज प्रार्थिया के नाम दर्ज किया जा चुका है लेकिन पिता की फौती का दाखिल खारिज प्रार्थिया के नाम दर्ज नहीं हुआ है। जबकि यह आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरण दावा धारा 88,89,53,188 का है। प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थियां के पक्ष में होना प्रतीत होता है ।

प्रकरण में अब प्रार्थिया को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करबाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थियां को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्ताबेजों एवं जमाबंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथाबत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थिया को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुबिधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थिया का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थिया को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस आम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नंबर 902/5.18, 903/0.06, 2195/3.01 किता 3 के कुल रकबा 9 बीघा 05 विस्वा (जमाबंदी संवत 2062–2065) है, जिनके वर्तमान नए खसरा नंबर 1320/0.96, 1321/0.01 ,1322/ 0.03, 3299/0.49 किता चार कुल रकबा 1.49 है0(जमाबंदी संवत 2075–2078) वाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन, भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)